(7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2022/93

मुकदमा नम्बर 028/2022 दायर दिनांक : 28–10–2021

हीरानन्द पुत्र श्री बलदेवाराम कोम जाट निवासी ढाणी खुद की तन ग्राम ढका बास तन निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार नवलगढ़ (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मुख्य बाजार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य
वकील प्रति. :– राज पैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 20.04.2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम ढाका का बास पटवार हल्का निवाई में 2 अलग–अलग खातो में कृषि जमीन स्थित है जिसमें खाता संख्या नया 131 में वादी का नाम अन्य सह–काश्तकारों के साथ सही हीरानन्द दर्ज है जबकि वादी का नाम खाता संख्या 134 में नाम सही दर्ज नही होकर उसमें हीराराम पुत्र बलदेवाराम दर्ज हो रखा है, जिसे दुरूस्त करवाकर वादी उसे हीरानन्द पुत्र बलदेवाराम करवाना चाहता है।

यह है कि वादी अपने सही नाम के साथ प्रतिवादी बैंक में अपना ऋण चुकाने के लिए उतरदायी है। वादी की भूमि को परिवर्तित नाम हीराराम के स्थान पर हीरान्नद करके उक्त बैंक के पूर्व अनुसार ही रहन रखा/रहने दी जावे।

यह है कि वादी के समस्त रिकार्ड में सही नाम ही दर्ज है तथा वादी की सर्विस रिकार्ड में उसका सही नाम हीरानन्द ही दर्ज है। वादी का नाम उसके सभी दस्तावेजों में नाम हीरानन्द है। वादी का नाम हीराराम के स्थान हीरानन्द घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह है किनाम दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में कब भी करवाई जा सकती है जिसके लिए बिनाए मुखासत गलत रिकार्ड की जानकारी होने पर कब भी उसे दुरूस्त करवाने के लिये पैदा होती है।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 280 खाता संख्या 134 स्थित सरहद ग्राम ढाका का बास पटवार हल्का निवाई में हीराराम पुत्र बलदेवा के स्थाना पर हीरानन्द पुत्र [illegible] घोषित किया जाकर दुरूस्त करने के लिये तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित करने की डिक्री पारित की [illegible]।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की सम्यक तामील होने के बावजूद भी इनकी ओर से [illegible] उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:16:18 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

9

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। शहादत वादी में वादी स्वयं ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात ग्राम निवाई की जमाबंदी खाता संख्या 134 सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–1, वादी का मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श–2, वादी का आधार कार्ड प्रदर्श–3, वादी का पैनकार्ड प्रदर्श–4, ग्राम निवाई की जमाबंदी खाता संख्या 131 सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–5 प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही होने से शहादत प्रतिवादी प्रस्तुत नही हुई।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस वकील वादी का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम ढाका का बास की सरहद में भूमि खाता संख्या 131 व 134 स्थित है, खाता संख्या 131 में वादी का सही नाम हीरानन्द सही दर्ज है जबकि खाता संख्या 134 में वादी का नाम हीराराम दर्ज है जो प्रदर्श 1 व 5 से प्रमाणित है। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात जो प्रदर्श 2 लगायत 4 यथा मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड आदि में भी वादी का नाम हीराराम नही होकर सही नाम हीरानन्द ही दर्ज है। प्रकरण में वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का नाम हीरानन्द पुत्र बलदेवारा जाति जाट निवासी ढाका का बास होना प्रमाणित है। फलस्वरूप वादी का नाम हीराराम के स्थान हीरानन्द घोषित किया जाना उचित है। वादी का वाद न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम ढाका का बास की सरहद में स्थित खाता संख्या 134 के अंतर्गत की भूमि खसरा नम्बर 280 रकबा 1.75 हैक्टर में वादी का नाम हीराराम पुत्र बलदेवाराम जाति जाट निवासी ढाका का बास के स्थान पर हीरानन्द पुत्र बलदेवाराम जाति जाट निवासी ढाका का बास घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested

(9)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर0ए0एस0)

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 28/2022 (हीरानन्द बनाम तहसीलदार नवलगढ)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर0ए0एस0),ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.04.2022 निर्णयानुसार हीराराम पुत्र बलदेवाराम जाति जाट निवासी ढाका का बास के स्थान पर हीरानन्द पुत्र बलदेवाराम जाति जाट निवासी ढाका का बास घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 20.04.2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested